न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : जितेन्द्र ओझा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **209/17 (वाद)**

1. श्रीमती नकाबाई पत्नी रोशनलाल ब्राहम्ण निवासी अनोपपुरा तह. मावली।
2. भगवतीबाई पुत्री रोशनलाल ब्राहम्ण निवासी अनोपपुरा तह. मावली।
3. स्पना पुत्री रोशनलाल ब्राहम्ण निवासी अनोपपुरा तह. मावली।

.....वादीगण

बनाम्

1. श्री रोशनलाल पिता दुर्गाशंकर ब्राहम्ण निवासी अनोपपुरा तह. मावली।
2. श्री भंवरलाल पिता दुर्गाशंकर ब्राहम्ण निवासी अनोपपुरा तह. मावली।
3. श्री चुन्नीलाल पिता दुर्गाशंकर ब्राहम्ण निवासी अनोपपुरा तह. मावली।
4. नानीबाई पुत्री दुर्गाशंकर ब्राहम्ण निवासी अनोपपुरा तह. मावली।
5. पटवारी, पटवार हल्का नउवा तह. मावली।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री कमलेश जैन, अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री पवन सेन, अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 31.10.2017

1. वाद वादी अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है– मौजा राय जी का गुडा पटवार हल्का नउवा तह. मावली जिला उदयुपर में निम्न कृषि भूमि स्थित हैं। परिशिष्ट अ में वर्णित आराजी नम्बर 521, 522 किता 2 रकबा 21 बीघा 4 बिस्वा। उक्त आराजीयात में प्रतिवादी सं. 1 का 1/8 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं। परिशिष्ट ब में वर्णित आराजी नम्बर 519/1 रकबा 2 बीघा। उक्त आराजी में प्रतिवादी सं. 01 का 1/8 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं।

2. पक्षकारान का सजरा खानदान इस प्रकार हैं।

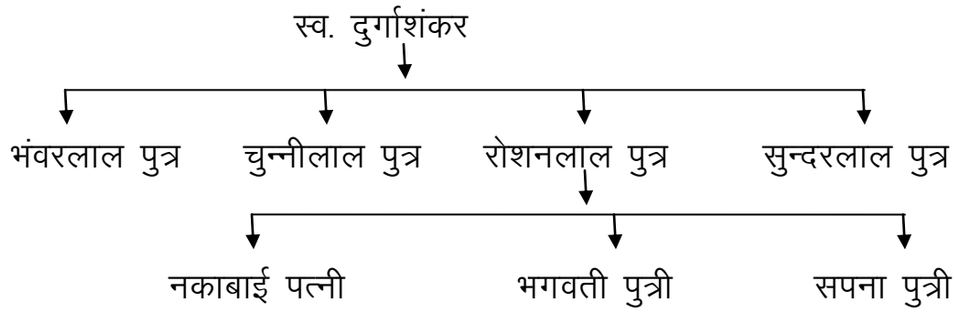

उपरोक्त सजरे खानदान के अनुसार वादी सं. 1 प्रतिवादी सं. 1 की पत्नी है तथा वादीगण सं. 2 व 3 उनकी पुत्रीयां हैं। हम वादीगण सं. 1 से 3 उनके विधिक वारिसान है इनके अलावा प्रतिवादी सं. 1 के कोई वारिसान नहीं हैं।

3. वाद की कलम संख्या 1 में वर्णित परिशिष्ट अ, ब की आराजीयात वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी सं. 1 के नाम पर 1/8 हिस्सेनुसार संयुक्त रूप से अंकित हैं। शेष हिस्सा अन्य सहखातेदारान के नाम दर्ज हैं। प्रतिवादी सं. 1 जो वादी सं. 1 के पति एवं वादी सं. 2, 3 के पिता है जो आज से करीब 40 वर्ष पूर्व ही बिना बताये कही चले गए एवं वर्तमान में भी उनका कोई अता पता नहीं है, काफी खोजने पर भी उनका किसी प्रकार का कोई पता या जानकारी नहीं मिल पाई। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अन्तर्गत यदि किसी व्यक्ति की 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं होती है वह जीवित होकर कहां पर है तो अधिनियम के अन्तर्गत सिविल मृत माना जाता है इस कारण भी वादीगण वाद पत्र की कलम सं. 1 में प्रतिवादी सं. 1 के नाम पर अंकित सम्पूर्ण हिस्सा भूमि अपने नाम पर घोषित करवाने की अधिकारिणी हैं।

4. वादीगण अपने पति/पिता के लापता होने के साथ ही कलम सं. 1 में वर्णित आराजीयात पर कृषि कार्य कर रही है एवं प्रतिवादी सं. 1 की सम्पूर्ण कृषि भूमि पर अपना कब्जा एवं आधिपत्य बना रखा है एडवर्स पजेशन के आधार पर वादीयां अपने लापता पति की सम्पति को अपने नाम पर घोषित करवाने की कानूनन अधिकारिणी हैं। पूर्व में हम वादीगण ने एक वाद दिगर आराजीयात का इसी आशय का घोषणा का पेश किया था उस समय उक्त खाता नहीं होने से सेहवन से इन आराजीयात की घोषणा नहीं हो सकी तथा दिगर आराजीयात वाद सं. 17/13 वाद के जरिए दिनांक 29.02.2016 को हमारे पक्ष में घोषित हो चुकी हैं।

5. हम वादीगण का प्राईमाफैसी मुकदमा है, चुंकि हम वादीगण प्रतिवादी सं. 1 की विधिक वारिसान होकर उत्तराधिकारीगण है और उक्त भूमि के अलावा अन्य भूमियां भी न्यायालय द्वारा हमारे नाम पर घोषित की जा चुकी है केवल मात्र सेहवन से उक्त खाता उपलब्ध नहीं होने से हमारे नाम पर घोषित नहीं हो सकी हे इसलिए हम वादीगण उक्त भूमि को भी अपने नाम पर घोषित करवाने की अधिकारिणी हैं। यदि कलम सं. 1 में वर्णित आराजीयात का प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा हम वादीगण के नाम पर इन्द्राज नहीं किया गया तो इससे होने वाली क्षति का आंकलन रूपयों पैसों में नहीं किया जा सकेगा।
6. वाद कारण तारीख 22.8.17 को पैदा हुआ जब पटवारी हल्का से हम वादीगण ने उक्त जमाबन्दी की नकल प्राप्त की तो जानकारी हुई कि उक्त खाते रोशनलाल के नाम की जमीन हमारे खाते में दर्ज नहीं हुई। उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।
7. प्रतिवादी सं. 2 से 4 निकटतम परिवारजन होने से एवं प्रतिवादी सं. 5, 6 आवश्यक पक्षकार होने से उनको पक्षकार बनाया गया है। इनसे हम वादीगण ने कोई दाद नहीं चाही हैं। अतः प्रार्थना है कि वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्व निम्न आशय की डिक्री प्रदान करायी जावें कि वाद पत्र की कलम सं. 1 के परिशिष्ट अ, ब में वर्णित आराजीयात में प्रतिवादी सं. 1 रोशनलाल पिता दुर्गाशंकर ब्राहम्ण के नाम दर्ज सम्पूर्ण हिस्सा भूमि का हम वादीगण को बराबर बराबर हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।
8. पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादी सं. 1 के लापता होने से इनको जरिये अखबार में नोटिस प्रकाशन कर तलब किया गया। प्रतिवादी अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रतिवादी सं. 2 से 4 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित होकर प्रकरण में वादीया का वाद स्वीकार कर निवेदन किया कि प्रतिवादी सं. 1 रोशनलाल जो वादी सं. 1 के पति एवं वादी सं. 2, 3 के पिता है तथा प्रतिवादी सं. 1 रोशनलाल के विधिक वारिसान वादीगण ही हैं। प्रतिवादी सं. 1 रोशनलाल जी के लापता होने के बाद से वादीगण ही उनके हिस्से की कृषि भूमि पर काबिज होकर काश्त करती आ रही है और वादीगण ही रोशनलाल जी के पत्नी एवं पुत्रीयां होकर विधिक वारिस है तथा हम प्रतिवादीगण ने अपने हिस्से की जमीन पहले ही अन्य व्यक्तियों को विक्रय कर रखी हैं। इसलिए प्रतिवादी सं. 1 रोशनलाल के नाम दर्ज कृषि भूमि वादीगण के

नाम पर खातेदारी हक की घोषित फरमाई जावें तो हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नही हैं।

9. प्रतिवादी सं. 1 गत 40 वर्ष से लापता है और इनका कोई अता पता नहीं है तथा वादीगण द्वारा इनकी काफी खोजबीन करने के बावजूद भी कोई खबर नहीं लगी हैं। वादीगण की इस्तदुआ जो स्वीकार हैं। अतः श्रीमान् न्यायालय से प्रार्थना है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को स्वीकार फरमा वाद पत्र की कलम सं. 1 में अंकित कृषि भूमि में वाद पत्र में वर्णितानुसार वादीगण को खातेदार घोषित फरमाया जावें जिसमें हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं हैं।
10. प्रकरण में वादीगण द्वारा अपने वाद के समर्थन में दस्तावेज जामाबन्दी प्रदर्श 1, जमाबन्दी खाता सं. 59 प्रदर्श 2, नकल नामान्तरकरण प्रदर्श 3, नकल ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रदर्श 4, नकल आधार कार्ड प्रदर्श 5, नकल आधार कार्ड प्रदर्श 6, नकल आधार कार्ड प्रदर्श 7 प्रस्तुत किया।
11. प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य गवाह शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 श्रीमती नकाबाई, पीडब्ल्यू 2 श्री रमेश, पीडब्ल्यू 3 श्री रेवाशंकर प्रस्तुत किया।
12. हमने अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपनी बहस में वाद में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 2 से 4 द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं प्रतिवादी सं. 1 के लापता होने से तथ्य को स्वीकार किया एवं वाद वर्णित भूमि पर वादीगण का कब्जा होने की बात कही एवं वाद स्वीकार किया जाने पर सहमति जाहिर की गई।
13. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। वादीगण द्वारा एक वाद पूर्व में भी प्रस्तुत किया जिसके नम्बर 17/13 थे जो दिनांक 29.02.2016 को स्वीकार कर डिक्री किया जा चुका है। वादी द्वारा दो आराजीयात सेहवन से रह जाने से पुनः वाद प्रस्तुत किया गया है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का सद्भावनापूर्वक अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबन्दी का अवलोकन किया। प्र.स. 1 लगभग 15 से 20 वर्षो से लापता होना बताया है। ग्राम पंचायत नउवा द्वारा दिनांक 22.08.17 से प्रमाण पत्र जारी कर इसकी पुष्टी की गई है जो प्रदर्श 4 है। लापता होने से अखबार में भी साया करवाया गया है। प्रतिवादी सं. 2 से 4 द्वारा वादीयां के पक्ष में स्वीकारात्मक जवाब प्रस्तुत किया हैं। जिससे भी वादीया के वाद को बल मिलता है। चुंकि वादीगण

प्रतिवादी सं. 1 के विधिक वारिसान है, एवं विधिक वारिसान होने से प्रतिवादी सं. 1 के भूमि पर उनका पुरा अधिकार बनता है। भूमि पैतृक है जो विरासत से प्राप्त हुई है। प्रतिवादी सं. 1 के लापता होने के तथ्यों को वादीगण द्वारा एवीडेन्स से प्रुफ करवाया है। इसके ताईद में वादीगण द्वारा गवाह शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 श्रीमती नकाबाई, पीडब्ल्यू 2 श्री रमेश, पीडब्ल्यू 3 श्री रेवाशंकर पेश किया तथा गवाहो द्वारा प्रतिवादी सं. 1 रोशन लाल के लगभग 20 से 25 वर्ष पूर्व लापता होने के तथ्यों को स्वीकार किया है तथा उसकी भूमि पर वादीया द्वारा ही काश्त कर उपयोग–उपभोग करना बताया है। अतः वादीगण हिन्दुउत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम दायद वारिस है। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत *2011(4)CCC 68(Pat.) janki Mahto v/s Archna Kumari – Indian Evidence Act, 1872- Section 108- Presumption – Held- Presumption under Section 108 would arise only after lapse court of 7 years- It enables the courts to draw the statutory presumption that a man is not alive in the facts and circumstances put forth – this presumption will be drawn unless the contrary is proved.* न्यायालय के निर्णय से हम पूर्ण रूप से सहमत है तथा उक्त दृष्टांत इस प्रकरण पर चस्पा होता है। अतः प्रतिवादी सं. 1 के लापता होने से विधिक वारिस वादी सं. 1 पत्नी एवं वादी सं. 2, 3 पुत्रियां होने से प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज भूमि अपने नाम खातेदारी अधिकार से घोषणा कराये जाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है।

– : : **<u>आदेश</u>** : : –

परिणामस्वरूप वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा राय जी का गुडा पटवार हल्का नउवा की आ.न. 521, 522 किता 2 रकबा 21 बीघा 4 बिस्वा, एवं आ.न. 519/1 रकबा 2 बीघा भूमि में प्रतिवादी स. 1 रोशनलाल के बजाय वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हों। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(जितेन्द्र ओझा)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

मूल वाद में डिक्री

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली
बईजलास जितेन्द्र ओझा, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्रीमती नकाबाई पत्नी रोशनलाल ब्राहम्ण निवासी अनोपपुरा तह. मावली।
2. भगवतीबाई पुत्री रोशनलाल ब्राहम्ण निवासी अनोपपुरा तह. मावली।
3. स्पना पुत्री रोशनलाल ब्राहम्ण निवासी अनोपपुरा तह. मावली।

.....वादीगण

बनाम्

1. श्री रोशनलाल पिता दुर्गाशंकर ब्राहम्ण निवासी अनोपपुरा तह. मावली।
2. श्री भंवरलाल पिता दुर्गाशंकर ब्राहम्ण निवासी अनोपपुरा तह. मावली।
3. श्री चुन्नीलाल पिता दुर्गाशंकर ब्राहम्ण निवासी अनोपपुरा तह. मावली।
4. नानीबाई पुत्री दुर्गाशंकर ब्राहम्ण निवासी अनोपपुरा तह. मावली।
5. पटवारी, पटवार हल्का नउवा तह. मावली।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा न0 : 209/17 (वाद)

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु जितेन्द्र ओझा R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है किः–

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा राय जी का गुडा पटवार हल्का नउवा की आ.न. 521, 522 किता 2 रकबा 21 बीघा 4 बिस्वा, एवं आ.न. 519/1 रकबा 2 बीघा भूमि में प्रतिवादी स. 1 रोशनलाल के बजाय वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 31.10.2017 को जारी की गई।

(जितेन्द्र ओझा)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली